COURT FEE 10 P. भारत INDIA १० पैसे 10 PAISE
COURT FEE INDIA 4 Rs FOUR RUPEES
COURT 1 Re
COURT 10 P.

11

C.F. 107
3/6/82

3.6.82

8-4-82 / 16-4-82 / 26-5-82 / 3-6-82 / 6-82 / 31 6 82

Simdega

मरियम उरांइन
बनाम
चन्द्र शेखर मिश्र

Schedule XIV Form No. 562.
Order Sheet.
(See Rule 129 of the Records Manual 1941.)

Order Sheet, dated from ... to ...
District : Sch. Case No. 86 of 76
Nature of the Case :- वि. भ. क्षेत्र. वि. ४६ ए के अन्तर्गत

Serial number and date of order	Order and signature of officer.	Note of action taken on order with date.
1	2	3
२८-12-75.	श्री मरियम उरांइन जौजे स्व. पीयुस उरांव ग्रा. खिजरी बम्बरोली थाना	

1 2 3

थाना सिमडेगा
जिला राँची के
ग्राम रिवजरी के

खाता नं०	प्लोट नं०	रकबा
८०	३३८८	0.30

के संबंध मे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया है। इसे अवलोकन किया।

आवेदन पत्र को पंजी में दर्ज करें। सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस देकर पूछे की आवेदन पत्र

३१०

COURT FEE INDIA FOUR RUPEES 4Rs | COURT FEE INDIA FOUR RUPEES 4Rs | COURT 1 Rs | COURT 10 P.

C. F. 109
3/6/82

1	2	3
	पत्र में दिये गये कथित जमीन की खरीद बिक्री वैयां में रद्द करें आवेदक को वापस लौटा दिया जाए। नोटिस नाजिर के द्वारा तामिला कराकर वापसी के साथ दिनांक 13-1-76 को प्रस्तुत करें। Sd/ P. Kandulyang अनु-मंडल पदाधि- कारी, सिमडेगा लेखापित Sd/ P. Kandulyang. अनुपदा सिमडेगा.	४७१, ४७२, R 11 २८-१२-७५

Bld 3/6/82

1	2	3
१३-१-६९' १४-१-६९'	नोटिस का तामिला रिपोर्ट प्राप्त हुआ। सरकारी अधिवक्ता हाजिरी, पत्र दाखिल किया। द्वितीय पक्ष वकीलनामा के सहित जवाब दाखिल किया। दोनों पक्षों के कागजात दाखिल करने के लिए समय दि. २२-१-६९ दिया जाता है। Sd/. P. Kandhyeng.	
२२-१-६९	सरकारी अधिवक्ता हाजरी पत्र दाखिल किया। द्वितीय पक्ष हाजरी पत्र के	

COURT 25 P COURT 25 P COURT 5 P

नारु

1 | 2 | 3

के
साथ समय का
आवेदन पत्र दाखिल
किया।
अन्तिम समय
दि. 31-1-76 दिया
जाता है।
Sd/- P. Kandiyal

३१-७-७६ सरकारी अधिवक्ता
हाजिरी पत्र दाखिल
किया। द्वितीय पक्ष
हाजिरी पत्र के
साथ कागजात दाखिल
किया।
प्रथम पक्ष का
कागजात अमिलेख
संरच्यो सं. 86/64
में कोषी है।
दोनों पक्षों को
सुनने अवहालत दिनांक
३१-९-७६ को।

31/6

1 2 3

३१-१-७६ का आ।

Sd/ N.C. Choudhury.

31.1.76. Orders not ready.

Put up for orders on 16.2.76

Sd/ N.C. Choudhury.

23.2.76. I was on leave on 16.2.76,

Put up for ~~o~~ orders on 28.2.76.

Sd/ N.C.Choudhury.

S.D.O.

28.2.76. Perused the case record No. Rev. 46 of 1975(Marium Orain vrs. Chandra Shekhar Mishra) U/S. 71 A of the Bihar Scheduled Area Regulations.

2. Marium Oraon w/o Pius Oraon of village Khijri (Simdega P.S.) filed a petition to the effect that she belonged to the S/T. and 0.30 ac. in plot No. 2388 appertaining to Khata No. 80 in village Khijri had

1	2	3
	Khijri had been illegally transferred to Chandra Shekhar Mishra s/o Lunknown of village Khijri (Simdega P.S.) and prayed for restoration of the same.	
	3. Notice were issued to both the parties to appear file documents and be heard.	
3/6/82	4. The Ist. party, Marium Orain, filed certified copy of the Khatian of Khata No. 80 of village Khijri in Case No. Rev. 54 of 1975 which shows that the land in question had been recorded as Kayami in the names of Naru Oraon and others, by caste Oraon. The Ist. party is legal heir of the recorded Tenant, has right, title and interest in the said land as a raiyat and she belongs to the S./T.	

1 2 3

to the S/T.

The Ist. party also filed rent receipt in respect of the land Khata No. 80/1 of Khijri granted by the State in favour of Bandhna Oraon. Libin Oraon s/o Lucas Oraon, was also made a member of the Ist. party.

5. The 2nd party, Chandra Shekhar Mishra, filed a written sta- -tement to the effect that he had purchased the land in question from Bhagatu Oraon s/o Naru Oraon by virtue of an unregistered dar-raiyati deed dt. 22.1.1958 and constructed a building thereon.

6. The 2nd party filed an un-registered stamp dar-raiyati deed dt. 22.1.1958 ~~xxkx~~ executed by Lucas @ Bhagtu Oraon s/o Naru Oraon in

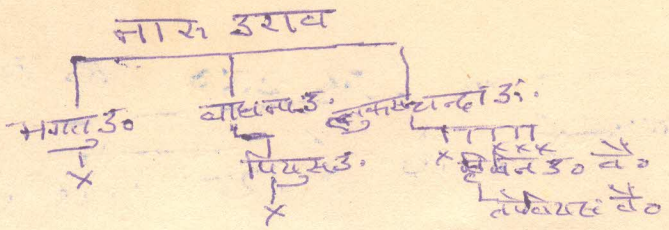

1	2	3

Oraon in favour of Chandra Shekhar Mishra for consideration money of Rs. 200-00

7. In this connection it may be mentioned that there is no provision in the C.N.T. Act for making Dar raiyati settlement of the raiyati land by a raiyat. The transfer of immoveable property of the value above Rs. 100/- without a registered deed is void in law.

Moreover , the transfer was made in contravention of the provisions of Sec. 46 of the C.N.T. Act.

8. I heard both the parties and the learned Advocate in behalf of the Deputy Commissioner .

9. It was admitted by both the parties that the structure was

1	2	3

structure was
of substantial nature and that it
had been constructed before the
Bihar Scheduled Area Regulations came
into force.

10. In view of the facts and circumstances mentioned above, I find that the raiyati land of the Ist. party, who are members of the S/T, was transferred to the 2nd party in contravention of the provisions of the C.N.T. Act and that the 2nd party constructed a substantial structure on the said land before the Bihar Scheduled Areas Regulations came into force. I therefore validate this transfer if the 2nd party pays a compensation of Rs. 2500/- (which is fair and equitale) to the Ist. party by the 31st March 1976.

Sd/ N.C.Choudhury.

COURT 1 Re. भारत एक रुपया

COURT 10 P. भारत १० पैसे 10

1	2	3
	Sd/. N.C. Choudhury. S.D.O (S.)	
31-3-68.	प्रथम पक्ष हाजिरी पत्र दाखिल किया. द्वितीय पक्ष हाजिरी पत्र के साथ दो आवेदन पत्र जमीन के समय के सम्बन्ध में दाखिल किया। समय स्वीकृत। अब दिनांक 20-8-68 को रखें। Sd/. N.C. Choudhury अनु. दण्डाधिकारी	
3/6/68.		
20.8.68 -	सरकारी ~~अधि~~ अधिवक्ता हाजिरी पत्र दाखिल किए। दोनों पक्ष हाजिरी पत्र दाखिल किया। द्वितीय पक्ष एक आवेदन	

1	2	3
	आवेदन पत्र दाखिल किया। 100=00 रु० का भुगतान किया गया। विपक्षी भूरी राशि दि० 30-5-76 तक अदा कर दें नहीं तो आदेश पत्र पूर्ण विचार किया जायगा Sd/ N.C. Choudhury	O.L.T.S Libin Oraon O.L.T.S. Moriani Oraon. मेरे सामने मुआवजे का 100) एक सौ रुपैया भुगतान किया गया Sd/ S. Dung Dung 20/4/76
31-5-76	प्रथम पक्ष हाजिरी पत्र दाखिल किया। द्वितीय पक्ष समय का आवेदन पत्र दाखिल किया, सरकारी अधिवक्ता हाजिरी पत्र दाखिल किया। 200=00 रु० का भुगतान किया गया।	मेरे सामने मुआवजे का 200) दो सौ रुपैया भुगतान किया गया। Sd/ S. Dung Dung Adv. 31-5-76

1	2	3
	किया गया। बची राशि के भुगतान के लिये अन्तिम समय दि० 30.6.76. Sd/. N.C. Choudhury	O नि० लिलिन उरांइन O नि० मरियम उरांइन
३०.६.७६. M/3/6/82	प्रथम पक्ष हाजिरी पत्र दाखिल किया। द्वितीय पक्ष हाजिरी पत्र के साथ समय का आवेदन पत्र दाखिल किया। अनु. पदा. मुख्यालय से बाहर हैं। उसे दिनांक १३.८.७६ को रखें। Sd/. R.N. Sahay. अनु पदा०	
१३.८.७६.	उभय पक्ष हाजिरी पत्र दाखिल किया।	

1	2	3
	किया। अनु० पदा० मुख्यालय से बाहर है उसे दिनांक २६-७-७६ को रखें। Sd/. Illegible. 13/7/76.	
२६-७-७६.	अनु० पदा० सरकारी अधिवक्ता हाजिरी पत्र दाखिल किया, अन्य पक्ष हाजिरी पत्र दाखिल किया। अनुमंडल पदा० मुख्यालय से बाहर है। उसे दिनांक ३०-८-७६ को रखें। Sd/. R.N. Sahay. अनु० पदा०.	
३०-८-७६.	प्रथम पक्ष अनुप- स्थित है, द्वितीय	

1	2	3
	द्वितीय पक्ष हाजिरी पत्र दाखिल किया। प्रथम पक्ष हाजिरी पत्र दाखिल किया। दि० 14-9-76 को।	
	Sd/- N.C. Choudhury.	
१४-९-७६.	प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष हाजिरी पत्र दाखिल किया। अनु० पदा० मुख्यालय से बाहर है इस दिनांक २०-१०-७६ को रखें	
[illegible] 31/6/82	Sd/- R.N. Sahay अनु० पदा०	
२०-१०-७६	द्वितीय पक्ष हाजिरी पत्र दाखिल किया इस दिनांक	

1 2 3

दिनांक 6-12.69
को प्रस्तुत करें।

आनु: पदरा:
२८-८-६९ अभिलेख आज प्रस्तुत
किया गया। द्वितीय
पक्ष आधा मुआवजा
लेने के पश्चात्
चुपचाप बैठ गये
है। बाकी मुआवजा
जमा करने हेतु
दोनों पक्षों को
नोटिस दें।

अभी मू. 989/2.11.66
द्वितीय पक्ष को
८००/०० का भुग-
तान करना शेष
है।

पुन: 5.12.70
को उपस्थित करें।

1	2	3
	उपस्थित करें।	
	Sd/ D.P. Sharma.	
	3.11.77.	
५-१२-७६.	प्रथम पक्ष का तामीला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। सरकारी अधिवक्ता उपस्थित है। विपक्षी उपस्थित है। प्रथम पक्ष की उपस्थिति हेतु अभिलेख दिनांक १५-१२.७६ को रखें।	
Sd/ 3/6/82.		
	दफ्तर..	
१५-१२-७६.	विपक्षी उपस्थित है। सरकारी अधिवक्ता उपस्थित है। विपक्षी के अधिवक्ता के अनुसार उन्हें केवल 18 डि० जमीन-	

1	2	3
	18 डि० जमीन से वास्तव है। शेष 12 डि० जमीन अंचल अमीन सिमडेगा नाप करें — अलग करें। नापी प्रतिवेदन नक्शा के साथ दें। पुन: 13-1-78 को उपस्थित करें। ह० D.P. Sharma 19/12	१६८५४ 31-12-66
१२-१-७८	विपक्षी उपस्थित है। अंचल पदाधिकारी सिमडेगा से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवेदन की प्राप्ति हेतु दिनांक २६-१-७८ को रखें।	

1	2	3
	को रखें।	
	Sd/ D.P. Sharma. 27-1-78. द०प्र०.	
२८-१-७८.	विपक्षी उपस्थित है। आवेदक उपस्थित है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः 9-2-78 को उपस्थित करें Sd/ D.P. Sharma. 27-1-78.	
	3/61	
९-२-७८	अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक १२० दिनांक ३-२-७८ से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विपक्षी उपस्थित है। विपक्षी मुआवजा दाखिल हेतु आवेदन दिये हैं	

1	2	3
	आवेदन दिये है। लेकिन उसका दखल- नत दिए है। सरकारी अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। अभिलेख दिनांक १८-२-७८ को रखें। Sd/- D.P. Sharma 15/2/78	
१८-२-७८.	दफ्तर.. सरकारी अधिवक्ता उपस्थित है। दोनों पक्ष उपस्थित है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से पता चलता है कि विपक्षी के कब्जे में वास्तव में २२ डि० जमीन है। विपक्षी-	

अग्रसारित
ह०/ [illegible]
९-२-८२
अंचल निरीक्षक

Copied by: [illegible]

Compared by: [illegible]
3/6/82

Certified to be a true copy

[illegible signature]
3.6.82

Head Clerk
Sub Divisional Officer, Simdega.
[illegible] under Sec. 76 Act I of 1872

1.60

20.25

14-18 = 32 17.60

.20

1.10

40.85

Rupees Fourty and Paise Eighty Five only

[illegible]

Officer in charge,
Copying section

HP
3/6/8[illegible]

1 2 3

विपक्षी केवल 18 अदालत में
डि० जमीन की विपक्षी के
वात पूर्व में कुल १८ डिस.
करते थे। प्रथम मिल जमीन
पक्ष शेष 8 डि० का मुआवजा
जमीन नहीं देना ८००) आठ
चाहती है। द्वितीय सौ रुपैया
पक्ष इसे छोड़ प्रथम पक्ष
दे। को भुगतान

सु/ 3/6/78

18 डि० का कर दिया
मुआवजा भुगतान Sd/- E Dung.
करें। A.G.P.
मेरे समक्ष 18/2/78.
एक एक सौ
रु०. मरियम उरांईन
एवं लिविन उरांव मरियम
को दिया गया। उरांईन.
शेष रकम सात
सौ पूर्व में लिविन
दिया जा चुका उरांव.
है।
अं० अ० को

(५)

1	2	3
	को रजिस्टर खाते में आवश्यक सुधार के लिए लिखें। 18 डि० पर द्वितीय पक्ष का हक सम्पुष्ट किया जाता है। Sd/. D.P. Sharma. 18/7/78.	

Copied by: [signature]

Compared by [signature] 3/6/82

Certified to be a true copy

[signature] 3.6.82

Head Clerk
Sub-Divisional Officer, Simdega.
Authorised Under Sec. 76 Act I of 1872

COURT FEE INDIA १० पैसे 10 PAISE

COURT FEE INDIA २५ पैसे 25 PAISE

COURT FEE INDIA एक रुपया ONE RUPEE

COURT एक रुपया भारत

COURT 10 P. भारत १० पैसे 10

c.f. 109
3/6/82

8-5-82 / 16-5-82 / 31-5-82 / 26-5-82 / 2-6-82 / 3.6.82 / 6-82 / 3-6-82

अंचल कार्यालय सिमडेगा।

पत्रांक 120 (ii).

दिनांक ४.२.६८.

सेवा में

कार्यपालक दण्डाधिकारी,

सिमडेगा

3/6/82

विषय:- रिट मु० न० ४६/६५ मरियम उरांईन बनाम चन्द्रशेखर मिश्र की जमीन वापसी के बारे।

प्रसंग:- आप का पत्रांक १९६८/ २७० दिनांक ३१-१२-६६

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग का संकेत करते हुए उक्त विषय पर अंचल अमीन से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

आपका विश्वस्त।

Sd. R R Vikal.

४/२ 78

अनुलग्नक :—— Sd/ R.R. Vikal
7-2-78

(1) अमीन का रिपोर्ट। अंचल पदाधिकारी,
प्रतिलिपि) सिमडेगा।

(2) ट्रेस नक्सा Sd/ Illeg.
मूल प्रति। 2-2-78

Sd/ Illeg.
2-2-78

Copied by: Illeg.

Compared by: ——— Illeg. 3/6/78

Certified to be a true copy
Illeg. 7.6.78
Sub-Divisional Officer, Simdega.
Authorised Under Sec: 76 Act I of 1872

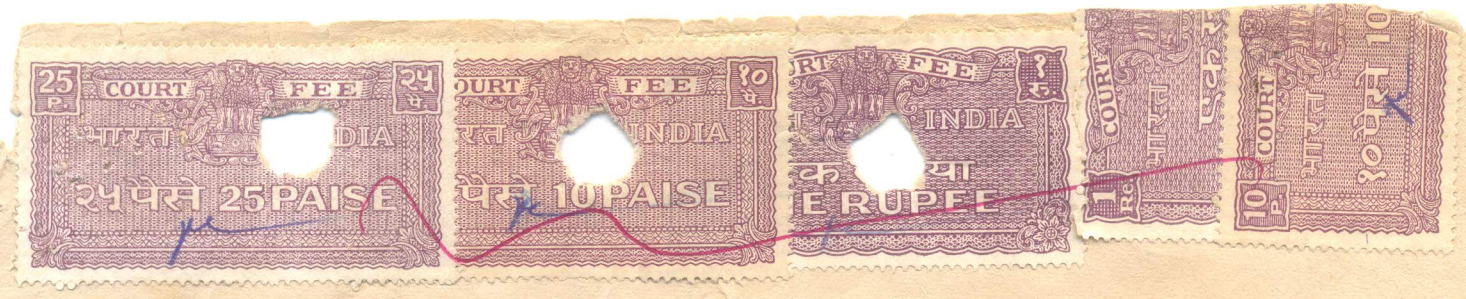

25 P. COURT FEE २५ पै. भारत INDIA २५ पैसे 25 PAISE

COURT FEE १० पै. भारत INDIA १० पैसे 10 PAISE

COURT FEE १ रु. INDIA एक रुपया ONE RUPEE

1 Re. COURT भारत एक रु

10 P. COURT भारत १० पैसे 10

c.f. 107
3/6/82

8-4-82 | 10-4-82 / 30-5-82 | 26-5-82 / 2-6-82 | 2.6.82 | 6.82 | 3-6-82

प्रति लिपि

श्रीमान अंचल पदाधिकारी, सिमडेगा।

द्वारा :- अंचल निरीक्षक सिमडेगा।

विषय :- री० मु० नं० 46/78 अनियम उरांईन बनाम चन्द्रशेखर मिश्र के जमीन वापसी बारे।

प्रसंग :- आप का पत्रांक 25 (ii) दिनांक 5-4-82 के सम्बन्धो प्रतिवेदन।

3/6/82

आप के आदेशानुसार उपरोक्त विषय की जांच हल्का कर्मचारी के साथ किया। मौजा रिवजेरी के खाता नं० 80 प्लौट नं० 2388 का कुल रकबा 0.60 डि० है। विपक्षी श्री चन्द्र शेखर मिश्र की दखल अनुसार जमीन की नापी किया। नापी करने पर श्री श्री मिश्र के कब्जे में कुल 0.22 डी० ही जमीन पाई गई। जिसमें 0.18 डि० जमीन विपक्षी श्री चन्द्रशेखर मिश्र के को

को नापी कर अलग कर दिया है।
जिसका ट्रेस नक्शा लाल रंग से
रंगा हुआ है और मरियम उराईन
को ०.०४ (चार) डि० भूमि
को नापी कर दखल दिला दिया
जिसका ट्रेस नक्शा ब्लू रंग से
रंगा हुआ है। इस प्रतिवेदन
साथ ट्रेस नक्शा एक प्रति
संलग्न है।

अतः श्रीमान के सेवा में
आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसा-
रित।

आप का विश्वासी
ह०/ राम देव प्र० प्रजापति
अमीन
१-२-६८
सिमडेगा अंचल

अग्रसारित।